Web Copy

COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***Pg. 1/3***

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.

1. A.B.P. No. 440/2026

Santosh Kumar Das Vs. State of Bihar

2. A.B.P. no. 389/2026

Pratap Kumar Das Vs. State of Bihar

Malaypur P.S. case no. 15/2026

आदेश

30.04.2026 मलयपुर थाना काण्ड संख्या–15/2026, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 109 सभी सपठित धारा 3(5) से संबंधित है, के अभियुक्त **संतोष कुमार दास** उम्र–36 वर्ष, पिता–स्व0 पारस रविदास उफ पारस दास, निवासी ग्राम–जावातरी, थाना–बरहट, जिला–जमुई की ओर से तथा अभियुक्त **प्रताप कुमार दास** उम्र–32 वर्ष, पिता–सुधीर दास निवासी ग्राम–सुगवा महुआ, थाना–बरहट, जिला–जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु पृथक पृथक आवेदन दाखिल किये गये हैं। इन दोनों आवेदनों पर आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि कांड के सूचक मनीष कुमार भारती द्वारा थानाध्यक्ष मलयपुर को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–05.02.2026 को समय संध्या करीब 3:30 बजे वह बिहार पुलिस का फिजिकल की तैयारी करने के लिए के0के0एम0 कॉलेज, जमुई जा रहा था तभी पहले से घात लगाये राजू कुमार रविदास, **संतोष कुमार दास, प्रताप कुमार दास** ये सभी कटौना पेट्रोल पम्प के पास जबरदस्ती उसका मोटर साईकिल छेंक कर जान मारने के नियत से लाठी, डंडा एवं लात मुक्का से मारना शुरू कर दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद वह किसी तरह परिवार को सूचित किया उसके बाद थाना की गाड़ी आयी तो किसी तरह उसकी जान बची। राजू कुमार रविदास एवं अन्य लोगों ने कुछ दिन पूर्व मिलकर गांव के ही मुन्ना कुमार दास को मारकर जमुई रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था और उन्हें लगता है कि वह मुन्ना कुमार दास का दोस्त है और उसके परिवार की मदद करता है इसलिए ये लोग उसे जान मारने का प्रयास किया। आज जान मारने की नियत से गर्दन दबा रहे थे।

दोनों जमानत आवेदन (A.B.A. 389/2026 and A.B.A. 440/2026) में साररूप

से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। घटनास्थल पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। आवेदक अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि आवेदक अभियुक्त राजू कुमार दास का दोस्त है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। उल्लेखनीय है कि आवेदक अभियुक्त संतोष कुमार दास के जमानत आवेदन के अनुसार संतोष कुमार दास कोई अपराधिक इतिहास नहीं है तथा **आवेदक अभियुक्त प्रताप कुमार दास के जमानत आवेदन के अनुसार इस अभियुक्त पर बरहट थाना कांड सं0–105/2021, 59/2025 एवं 63/2020 लंबित है।**

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

मैंने अभिलेख संहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ मारपीट करने का आरोप है। कांड दैनिकी के पैरा–2 में सूचक का पुनः बयान है तथा कांड दैनिकी के पैरा–3, 4 में साक्षी अंकित कुमार एवं सुनैना देवी का बयान है। सूचक संहित इन सभी साक्षियों ने प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा–31 में कांड के सूचक मनीष कुमार भारती का जख्म प्रतिवेदन दर्ज है, जो निम्न प्रकार है–

i. Abrasion size (1/2" x 1/4") red in colour on left malar area of face,

ii. Abrasion size (1" x 1/4") red in colour on left side of neck.

iii. Pain in right wrist joint.

void

अभियुक्त प्रताप कुमार दास जमानत आवेदन के अनुसार उसके विरूद्ध बरहट थाना में पूर्व से तीन कांड लंबित है। अतः मेरे विचार से आवेदक अभियुक्त **प्रताप कुमार दास** के इस लम्बे आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए, अग्रिम जमानत आवेदन प्रदान करना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त का प्रताप कुमार दास का यह अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है किंतु अभियुक्त संतोष कुमार दास के जमानत आवेदन एवं कांड दैनिकी के अनुसार इस अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है तथा इस अभियुक्त पर मारपीट का कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है। जख्म प्रकृति से सामान्य है। अतः अभियुक्त संतोष कुमार का जमानत आवेदन अग्रिम जमानत आवेदन सं0–440/2026 स्वीकृत किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त संतोष कुमार की ओर से मलयपुर थाना कांड सं0–15/2026 में दस हजार के दो प्रतिभूओं से समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।